BIHAR

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना-800 010

पत्रांक :पी.सी./पी.आर.-119(B-iii)/जा.अभि.सिंगल यूज प्लास्टिक/2022/ 1568   पटना, दिनांक:-04.07.22

प्रेषक,

एस.चन्द्रशेखर,भा.व.से.
सदस्य-सचिव।

सेवा में,

सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

विषयः-बिहार राज्य की परिसीमा में एकल उपयोग वाले चिन्हित प्लास्टिक (थर्मोकोल समेत) सामग्रियों के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर राज्य सरकार द्वारा लगाये गये पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1012 दिनांक 17.12.2021 द्वारा सम्पूर्ण बिहार राज्य की परिसीमा में दिनांक 01 जुलाई, 2022 की तारीख से पॉलीस्टाइरीन (Polystyrine) और विस्तारित पॉलीस्टाइरिन (Extended Polystyrine) वस्तुओं सहित निम्नांकित एकल उपयोग प्लास्टिक (Single Use Plastic) वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषिद्व किया गया है:-

(क) प्लास्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक के डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैन्डी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पॉलीस्टारिन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री;

(ख) कटलरी जैसे- प्लेट, कप, गिलास, काँटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, स्टिरर साथ ही मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी.वी.सी. बैनर।

उपरोक्त प्रतिबंध कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक (Compostable Plastic) से बनी हुई वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे।

उक्त के आलोक में जन-सामान्य में जागरूकता अभिवर्धित करने के उद्देश्य से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा एक रंगीन पोस्टर मुद्रित कराया गया है।

उक्त पोस्टर की 01 प्रतियाँ पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर सभी संबंधितों के जागरूकता हेतु प्रदर्शित कराने की कृपा किया जाय।

संलग्नः यथा उपरोक्त

विश्वासभाजन,
04/7/22
(एस.चन्द्रशेखर)
सदस्य-सचिव।

2040
25.07.22